



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
“सूचना प्रकोष्ठ वर्ग”
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, यमुना कलोनी, देहरादून।

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttrakhand

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

rti.pwd@uk.gov.in

पत्रांक—८७ / ६३(सामन्य)सू०अ०/२०२३

दिनांक—०९/०६/२०२३

“कार्यालय आदेश”

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के ई-मेल आई०डी०:- cehq.pwd.uk@gov.in, eicpwd.uk@gov.in का संचालन वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा किया जा रहा है। तथा ई-मेल cepwd.2005@gmail.com का संचालन विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में स्थापित समस्त वर्गों द्वारा किया जा रहा है, जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन/अपील आवेदन के साथ-साथ विभिन्न स्तरों से निरन्तर अत्यधिक संख्या में मेल प्राप्त होने के कारण कठिपय मेल अवलोकित होने से वंचित रहने की सम्भावना बनी रहती है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आच्छादित प्रकरण भी हो सकते हैं।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आच्छादित प्रकरण अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध प्रकृति के होते हैं, जिनका समयान्तर्गत निस्तारण किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत सूचना का अधिकार 2005 से आच्छादित प्रकरणों हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में नई ई-मेल (rti.pwd@uk.gov.in) सृजित की गयी है। उक्त ई-मेल पर केवल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आच्छादित प्रकरण ही स्वीकार्य होंगे।

(ई० पी०एस० नवियाल)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— सचिव, मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
- 3— वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
- 4— मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 5— लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
- 6— समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून।
- 7— मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/हल्द्वानी।
- 8— मुख्य अभियन्ता, रा०मा०/१०डी०वी०/वर्ल्ड बैंक लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/देहरादून।
- 9— समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड लो०नि०वि० विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति अधीनस्थ कार्यालयों को अपने रूप से प्रवारित करें।
- 10— समस्त अधिशासी अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/अपर सहायक अभियन्ता (प्रा०), विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून।
- 11— मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून।
- 12— ✓ अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ई-मेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 15— प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रकीर्ण वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ई-मेल विभागीय सूचना पट्ट तथा दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रेचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
16. प्रतिलिपि श्री नरेन्द्र सिंह बुटोला, कनिष्ठ सहायक (सूचना प्रकोष्ठ वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ई-मेल का प्रतिदिन अवलोकन कर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आच्छादित प्रकरणों को डाउनलोड कर सहायक लोक सूचना अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 17— नोटिस बोर्ड हेतु।
- 18— गार्ड पत्रावली।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

८८८८